

थाना चील्ह पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नकली/अपमिश्रित शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, कुल 45 पेटी में 2025 शीशी अवैध देशी शराब के साथ केमिकल एवं नकली रैपर, पैकिंग मशीन, शराब बनाने के उपकरण सहित टाटा सफारी एवं 02 मोटरसाइकिल बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.05.2021 को उ०नि० अशोक कुमार सिंह मयहमराह हे०का० मो० शकील खाँ, हे०का० राजेश कुशवाहा, हे०का० चन्द्रशेखर सिंह, का० अगम सिंह, का० सुशील सिंह, का० शिवम गुप्ता, का० दीपक कुमार थाना क्षेत्र में कोविड-19 लाकडाउन का पालन कराने तथा शांति व्यवस्था हेतु गश्त/चेंकिंग में मगमूर थे कि इस दौरान मुखबीर खास की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम के साथ ग्राम मुजेहरा खुर्द में छापामार कर खेत में बने ट्यूबेल के अन्दर चल रही अवैध/अपमिश्रित शराब की फैक्ट्री से रोहित शर्मा पुत्र शशिकान्त शर्मा निवासी मनऊबीर खमरिया थाना औराई जनपद भदोही को गिरफ्तार किया तथा 05 अन्य व्यक्ति भागने में सफल हो गये। छापेमारी के दौरान 45 पेटी नकली देशी शराब कुल 2025 शीशी (प्रत्येक 200 एम०एल०), 500 अदद शीशी ब्लू लाइम डिस्टेलरी लार्डस लिमिटेड गाजीपुर, काला ढक्कन 600 अदद जिस पर टू बेक्र सील हेंव टू ओपन अनस्क्रेप का स्टीकर, कुल 454 अदद रैपर ब्लू लाइम डिस्टेलरी लार्डस लिमिटेड, 500 अदद रैपर बाम्बे स्पेशल 1764 अदद रैपर विन्डीज लाईम 140 अदद, 01 अदद पैकिंग मशीन, 01 अदद एक्कोहल मीटर, 02 अदद ड्रम, 01 अदद ड्रम प्लास्टिक का जिसमें 10 लीटर तैयार अपमिश्रित शराब तथा एक टाटा सफारी कार यूपी 65 एयू 1200 जो अवैध शराब की सप्लाई हेतु प्रयोग में लाई जाती थी, मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर यूपी 65 डीएम 8461, मोटर साइकिल डिस्कवर यूपी 62 जेड 4592 भी मौके से बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चील्ह पर मु०अ०सं० 79/2021 धारा 60,63,72 आबकारी अधि० व धारा 420,467,468,471,272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त बरामद वाहनों के सम्बन्ध में कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित शर्मा से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि हमलोग (अन्य 05 साथीगण) स्पिरिट में केमिकल व रंग मिलाकर अवैध नकली देशी शराब तैयार

करते हैं तथा उनको शीशियों में भर कर उस पर नकली लेवल, ढक्कन व नकली क्यूआर कोड लगाकर असली शराब के रूप में बेच कर धन अर्जित करते हैं। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में सम्भावित स्थानों पर लगातार दृष्टि दी जा रही।

#### बरामदगी विवरण-

- 1- 45 पेटी नकली देशी शराब कुल 2025 शीशी (प्रत्येक 200 एम0एल0)
  - 2-500 अदद शीशी ब्लू लाइम डिस्टेलरी लार्डस लिमिटेड गाजीपुर,
  - 3-ढक्कन 600 अदद टू ब्रेक सील हेंव टू ओपन अनस्क्रेप का स्टीकर लगा
  - 4-कुल 454 अदद रैपर ब्लू लाइम डिस्टेलरी लार्डस लिमिटेड
  - 5-500 अदद रेपर बाम्बे स्पेशल, 1764 अदद रैपर विन्डीज लार्डस 140 अदद
  - 6-01 अदद पैकिंग मशीन, 01 अदद एक्कोहल मीटर,
  - 7-02 अदद ड्रम प्लास्टिक, 01 प्लास्टिक बाल्टी, 02 अदद प्लास्टिक मग्गा
  - 8-01 अदद ड्रम प्लास्टिक का जिसमें 10 लीटर तैयार अपमिश्रित शराब
  - 9-01 टाटा सफारी कार यूपी 65 एयू 1200,
  - 10-02 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पेलेण्डर यूपी 65 डीएम 8461, डिस्कवर यूपी 62 जेड 4592
- भी बरामद

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

रोहित शर्मा पुत्र शशिकान्त शर्मा निवासी मनऊबीर खमरिया थाना औराई जनपद भदोही।

#### गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम मुजेहरा खुर्द थाना चील्ह, दिनांक 24.05.2021 समय 14.30 बजे

#### गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-30नि0 अशोक कुमार सिंह प्रभारी चौकी चेतगंज थाना चील्ह
- 2-हे0का0 मो0 शकील खाँ चौकी चेतगंज थाना चील्ह
- 3-हे0का0 राजेश कुशवाहा चौकी चेतगंज थाना चील्ह
- 4-हे0का0 चन्द्रशेखर सिंह चौकी चेतगंज थाना चील्ह
- 5-का0 अगम सिंह चौकी चेतगंज थाना चील्ह
- 6-का0 सुशील सिंह चौकी चेतगंज थाना चील्ह

7-का0 शिवम गुप्ता चौकी चेतगंज थाना चील्ह

8-का0 दीपक कुमार चौकी चेतगंज थाना चील्ह

**आबकारी टीम**

1-श्री पुष्पेन्द्र कुमार आबकारी निरीक्षक

2-हे0का0 राजबहादुर

3-का0 संजय कुमार केसरवानी

